

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के बिन्दु (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; के प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद विधिक वर्जित होने से खारिज किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।
14.09.2021

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

